न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-475Ju2024-199 Yar Mohmmad ors Vs state

---

01. यार मोहम्मद पुत्र कमाल खां
02. शाह मोहम्मद पुत्र कमाल खां
03. रोजे खां पुत्र कमाल खां
    सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण पन्नुवाला की नाडी, भंड़ला, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 22 अक्टूबर 2024 राजस्व वाद संख्या 193/2016 कमाल खां व अन्य बनाम सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 08 जनवरी 2025

अपीलाण्ड्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 193/2016 कमाल खां व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 22 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 18 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव भड़ला, तहसील बाप जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी) में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 84 कुल रकबा 1257.05 बीघा में सें रकबा 70 बीघा तथा खसरा नं. 124 में सें रकबा 40 बीघा पर वादी का पीढियों से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर वादीगण का पूर्वजों के समय से सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं उसका नाम राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्वयं माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज में सम्मिलित गांवों जो उपनिवेशन क्षेत्राधिकार में आते है, उनको कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान है, इसलिए अपीलार्थीगण/वादीगण को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा अपीलार्थीगण/वादीगण उपरोक्त वर्णित खसरान् की कब्जासुदा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है, बावजूद इसके माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित किये खारिज कर दिया। वादीगण द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को भलीभांति साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात पर गौर किये बिना तथा मामले का तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। प्रतिवादी/रेस्पो. का कथन है कि अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से समय-समय पर बेदखल किया गया है, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मौखिक कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद को खारिज कर दिया गया है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह वादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात, वाद का गुणागुण पर तनकीवार निस्तारण करे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2024(1)आर.आर.टी. 54, अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 2020/18 अनवान नूरदीन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2024 की प्रति पेश की।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलांट्स के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाकर उन्हें बेदखल किया गया है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 25 अप्रैल 2016 के जरिये विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण में तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य विधिसम्मत निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशों की पालना में दिनांक 28.02.2017 को तीन कानूनी तनकीयात कायम की गईः -

01. आया ग्राम भड़ला के खसरा नं. 84 रकबा 1257 बीघा में सें 70 बीघा भूमि पर वादीगण का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है।

जिम्मे वादी....

02. आया ग्राम भड़ला के खसरा नं. 124 रकबा 40 बीघा पर वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है।

जिम्मे वादी...

03. आया वादीगण का एडवर्स पजेशन होने से कोई खातेदारी व निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी....

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मामले में विरचित तनकीयात अपना निष्कर्ष पारित किये बिना तथा प्रत्येक तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर